


28/11

पनापली पेरा ड्री उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित
है। पनापली वाले अधिवक्ता की डिक्री 26/12/19
के पेरा ड्री।

26/12/19

पनापली पेरा ड्री। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित
है। अधिवक्ताओं की वक्तव्य सुनी गयी। विपक्षी कायबूद
सुचना के उपस्थित नहीं है। उभय पक्ष का अपलोडन
विषय आर्षीका की ओर से इस न्यायालय में बाद
पेरा ड्री कर रखा जो विचाराधीन है। विपक्षी के
पक्ष में आर्षीका के पति के द्वारा लिखे गये एक
लगा के आधार पर नानालाकरका हो चुका है।
आर्षीका के द्वारा उत्पन्न मूल वाद के विस्तारण तब
रेकॉर्ड एवं मौके की भ्रमस्थिती बनार्य रखी
जाने में किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होता है।
अपि काबूनी पेचीदगी से निजाद एवं राहत मिलेगी
ऐसी स्थिती में आर्षीका का आर्षीका पत्र स्वीकार
विषय जाना उचित है।

मतः आर्षीका द्वारा उत्पन्न आर्षीका पत्र अस्वीकृत
द्वारा शीघ्र मूल वाद के विस्तारण तब स्वीकार कर
विपक्षी बकाउ। के विरुद्ध इस मशफ की अपील
विषेधारण जारी की जाती है। मूल वाद के विस्तारण
तब रेकॉर्ड एवं मौके की भ्रमस्थिती बनये रखे।
पनापली फौजदारी सुनार होकर नानालाकर ले कर ली।


26.12.19

अधीक कलक्टर (उपखण्ड आधीक
रायपुर (भीलवाडा).

